भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 870

जिसका उत्तर 23.07.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-39 के निर्माण में विलंब

870. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है जो पिछले दस वर्षों के दौरान निर्माणाधीन रही हैं और जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-39 के निर्माण के लिए, जो वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू हुआ था, अब तक कितनी निर्माण एजेंसियों को अनुबंध प्रदान किए गए हैं;

(ग) उक्त निर्माण एजेंसियों द्वारा कार्य पूरा न करने अथवा अनुबंधों को समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त परियोजना की मूल लागत कितनी थी, इस पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है और इसके पूरा होने में हुए विलंब के कारण सहित सरकार को हुए अनुमानित वित्तीय नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) परियोजना के निष्पादन में हुए विलंब के लिए दोषी एजेंसियों और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है;

(च) क्या यह परियोजना वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो इसके पूरा होने के लिए निर्धारित संशोधित समय-सीमा क्या है; और

(छ) इस परियोजना को संशोधित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) 1,187 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं, जिनका निर्माण विगत 10 वर्षों के दौरान शुरू हुआ था, उनमें से किसी ने भी परियोजना पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है और ऐसी परियोजनाओं को छोड़कर जोकि समापन/समय से पूर्व समापन (फोरक्लोजर) के लिए विचाराधीन हैं।

(ख) से (छ) मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-39 के (i) बामीथा-सतना (ii) सतना से बेला और (iii) सीधी से सिंगरौली खंड के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) पर वित्त वर्ष 2011-12 में 3 अलग-अलग रियायतग्राहीयों को नियुक्त किया गया था, जिसके लिए वित्त वर्ष 2013-14 में नियत तिथियां घोषित की गई थीं।

उपरोक्त तीनों कार्यों के लिए रियायत करारों की संविदात्मक लक्ष्यों की लगातार पूर्ति न होने और रियायतग्राहियों द्वारा निरंतर गैर-निष्पादन के कारण समाप्त कर दिया गया था। परिणामस्वरुप, कार्यों को ईपीसी आधार पर पुनः आवंटित किया गया और वित्त वर्ष 2020-21 में क्रमशः (i) बामीथा-सतना और (ii) सतना से बेला खंड के लिए 2-लेन पेव्ड शोल्डर सहित / 4-लेन का कार्य पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2020-21 में संविदाकार के खराब प्रदर्शन के कारण सिधी-सिंगरौली खंड के शेष कार्य का अनुबंध पुनः समाप्त कर दिया गया था। इसके पश्चात, वित्त वर्ष 2026-27 में कार्य को पुनः आवंटित किया गया और नियत तिथि 09.05.2026 घोषित की गई, जबकि कार्य के पूरा होने की निर्धारित तिथि 08.05.2028 है।

इन तीनों परियोजनाओं की कुल मूल स्वीकृत लागत 1,597 करोड़ रुपये थी और अब तक कुल व्यय 2,085 करोड़ रुपये है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और संविदाकार संबंधी मुद्दों की निगरानी के लिए कई कार्य-तंत्रों का उपयोग करते हुए एक ढांचा तैयार किया है। परियोजना की प्रगति का आकलन करने और भूमि अधिग्रहण, सामग्री की उपलब्धता, मंजूरी आदि से संबंधित स्थल संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय में संविदाकार/रियायतग्राही से संबंधित मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

यह मंत्रालय राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं/अड़चनों की समीक्षा और समाधान के तंत्र का लाभ उठाता है।
